Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise)
Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001
Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505
Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739
e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांकः– आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/19(38)/2023/305 दिनांकः– 1-09-2023

कार्यालय आदेश

विषयः– आरएसएमएमएल के सेवारत/सेवानिवृत कार्मिकों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

संदर्भः– 1. वित्त(नियम)विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.04.2023, 17.06.2023, 06.07.2023 एवं दिनांक 27.07.2023
2. कार्यालय आदेश कमांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/ 19(38)/2023/192 दिनांक 17.07.2023 एवं आदेश कमांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/ 19(38)/2023/234 दिनांक 31.07.2023
3. वित्त(नियम)विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.2023

उपर्युक्त आदेश कमांक 192 दिनांक 17.07.2023 एवं क्रमांक 234 दिनांक 31.07.2023 की निरन्तरता में वित्त(नियम)विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2021 दिनांक 25.08.2023 के अन्तर्गत जारी संशोधित दिशानिर्देशों को कम्पनी में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी पालना सुनिश्चित करते हुए विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 10.09..2023 तक बढ़ाई जाती है। संदर्भित आदेश के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

संलग्न :– वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या क्रमांक प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 25.08.2023 एवं संलग्न घोषणा पत्र।

उक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

(गोविन्द सिंह राणावत)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, अध्यक्ष महोदया, आरएसएमएमएल, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशा.), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक–लाईमस्टोन/प्रमुख एवं प्रभारी–रॉक फॉस्फेट/जिप्सम/लिग्नाईट।
6. समस्त विभागाध्यक्ष–कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक (आईटी), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर, वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतू।
8. मुख्यालय, पेंशन प्रकोष्ठ, सीओ।
9. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर।
10. दिल्ली/कोलकत्ता कार्यालय।
11. समस्त सूचना पट्ट।

Signature valid
Digitally signed by Govind Singh Ranawat
Designation: Executive Director
Date: 2023.09.01 10:55:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4631687

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर, दिनांक : 25 AUG 2023

आदेश

विषयः राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भः वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17.06.2023, 06.07.2023 एवं 27.07.2023

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023 एवं उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेशों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/बोर्ड/विश्वविद्यालयों आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेशों के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इन आदेशों में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

A. सेवानिवृत कार्मिक :

सेवानिवृत कार्मिक द्वारा विकल्प दिये पर पेंशन निधि में नियोक्ता अंशदान की जमा करवाई जाने वाली राशि मय अर्जित ब्याज उसे प्राप्त करने की दिनांक से पेंशन निधि में जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि के प्रावधान को यथावत रखा जाता है तथा यह राशि एकमुश्त ही पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य समस्त राशि यथा EPS, ग्रेच्युटी अंतर राशि, नियोक्ता अंशदान से स्थायी प्रत्याहरण, Ex-gratia, CPF के कार्मिक के रूप में अतिरिक्त सेवा के मामलों में इन समस्त राशियों हेतु निर्धारित ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक यथावत रखी गयी है, परन्तु इन मदों में पृथक–पृथक से देय ब्याज राशि मूल राशि से अधिक नहीं होगी। उदाहरणतः यदि ई.पी.एस. की जमा योग्य राशि रूपये 96,862/– है और उस पर जमा होने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज रूपये 2,33,076/– बनता है तो जमा कराई जाने वाली ब्याज की राशि की अधिकतम सीमा रूपये 96,862/– होगी अर्थात ई.पी.एस. की जमा कराई जाने वाली मूल राशि से अधिक नहीं होगी। यही व्यवस्था ग्रेच्युटी अंतर राशि, नियोक्ता अंशदान से स्थायी प्रत्याहरण, Ex-gratia, CPF के कार्मिक के रूप में अतिरिक्त सेवा के मामलों के सम्बन्ध लागू होगी।

B. मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित :

मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित को सेवानिवृत्त कार्मिक की भांति जमा कराने योग्य राशि की 70 प्रतिशत राशि ही एकमुश्त जमा करानी होगी। उदाहरणतः यदि किसी कार्मिक का देहान्त 30–9–2013 को हुआ है तो गणना अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक को देय राशि के अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी जिसकी 70 प्रतिशत राशि मृतक कार्मिक

के पात्र आश्रित को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने की स्थिति में जमा करानी होगी – `

क्र.स.	विवरण	राशि (रु.)
1.	नियोक्ता अंशदान की मूल राशि मय अर्जित ब्याज	8,07,743/–
2.	नियोक्ता अंशदान की मूल राशि पर 3 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज	2,38,871/–
3.	उपादान राशि का अन्तर	1,46,215/–
4.	उपादान पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये 1,78,919/–	1,46,215/– (बिन्दु संख्या A के अनुसार छूट के आधार पर)
5.	ई.पी.एस की राशि	96,862/–
6.	ई.पी.एस पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये 2,33,076/–	96,862/– (बिन्दु संख्या A के अनुसार छूट के आधार पर)
7.	**कुल देय राशि**	**15,32,768/–**
8.	**उपरोक्त कुल राशि की 70 प्रतिशत राशि**	**10,72,938/–**

C. सेवारत कार्मिक :

1. यदि CPF/EPF/NPS से संबंधित राशि इनसे संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त होने की संभावना नहीं है तो कुल देय राशि (नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/ अर्जित मूल्य के कुल देय राशि) की 15 प्रतिशत राशि कार्मिक को स्वयं पेंशन निधि में एकमुश्त जमा करानी होगी। उदाहरणतः यदि 31.07.2023 तक नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज / अर्जित मूल्य के 10 लाख रुपये है तो कार्मिक को 1.5 लाख रुपये पेंशन निधि में जमा कराने होंगे।
2. शेष 85 प्रतिशत राशि सेवारत कार्मिक को उनकी सेवानिवृत्ति पर जमा करानी होगी अन्यथा उनके पेंशन परिलाभ देय नहीं होंगे। इस हेतु प्रत्येक कार्मिक को घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1) प्रस्तुत करना होगा जो विकल्प पत्र का भाग होगा। इस घोषणा पत्र में कार्मिक को यह उल्लेखित करना होगा कि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं यथा EPFO/NSDL से स्वीकृति एवं राशि सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक द्वारा स्वयं नियोक्ता अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज/ अर्जित मूल्य, संस्था के पेंशन निधि में जमा कराने के उपरान्त ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।
3. नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज / अर्जित मूल्य के अतिरिक्त अन्य राशि यथा ई.पी.एस/ स्थायी प्रत्याहरण यदि एकमुश्त जमा कराई जाती है तो ही बिन्दु संख्या A के संदर्भित प्रावधान अनुसार छूट देय होगी। यदि यह राशि एकमुश्त के स्थान पर सेवारत

कार्मिक द्वारा चार किश्तों में जमा कराई जाती है तो प्रथम किश्त की 25 प्रतिशत राशि इस आदेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक एकमुश्त जमा करानी होगी। शेष राशि फरवरी 2024, अगस्त 2024, फरवरी 2025 में इन माह के अंतिम दिवस तक तीन किश्तों में जमा कराई जा सकती है परन्तु ऐसी स्थिति में नियमानुसार सम्पूर्ण ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर) सहित मूल राशि जमा करानी होगी। किश्तों हेतु निर्धारित समय से पूर्व यदि किश्तों की राशि जमा करा दी जाती है तो जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए आगामी किश्त में जमा कराई जाने वाली राशि को कम करके ही निर्धारित ब्याज राशि देय होगी।

D. अन्य दिशा निर्देश :

1. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20–4–2023 में यह प्रावधान है कि जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked pension Scheme लागू है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य की विद्युत कम्पनियों में GPF linked pension Scheme ट्रस्ट यथा Superannuation Trust के माध्यम से संचालित है, अतः पूर्व में जारी आदेशों में विद्युत कम्पनियों को छूट देते हुए ये कम्पनियां पूर्वानुसार ही GPF linked pension Scheme ट्रस्ट के माध्यम से ही संचालित कर सकेंगी। ऐसी संस्थाओं में जब तक EPFO से छूट प्राप्त नहीं होती है, उस अवधि तक यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्त होता है तो उस सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु देय सम्पूर्ण राशि मय ब्याज स्वयं जमा करानी होगी।

2. सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त अन्य संस्थाएं भी GPF linked pension scheme को किसी अन्य पेंशन योजना के माध्यम से जो पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं गारंटीड हो, लागू कर सकती है। इस हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राशि जो पूर्व में जारी निर्देशानुसार तथा इस आदेश में जारी निर्देश अनुसार सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के आश्रित / सेवारत कार्मिक से नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज / अर्जित मूल्य सहित तथा इस राशि के अतिरिक्त अन्य देय राशि यथा EPS, ग्रेच्युटी अंतर राशि, नियोक्ता अंशदान से स्थायी प्रत्याहरण, Ex-gratia, CPF के कार्मिक के रूप में अतिरिक्त सेवा की राशि, जो लागू हो, संबंधित पेंशन योजना में जमा करानी होगी तथा मासिक नियोक्ता अंशदान की राशि भी संबंधित पेंशन योजना में जमा करानी होगी परन्तु जीपीएफ की कटौती तथा प्रकिया जीपीएफ सैब में ही राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जायेगी।

3. बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के अन्तर्गत शिथिलन इस शर्त के साथ दिया दिया जाता है कि सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन योजना हेतु विनिवेशित की जाने वाली राशि अधिकतम ब्याज दर के साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे तथा उन्हीं पेंशन योजनाओं में निवेशित किया जाये, जिनमें जोखिम नहीं हो तथा पूर्ण रूप से गारंटी हो। संस्था के सक्षम स्तर से इस हेतु पूर्ण विश्लेषण किया जाये कि ट्रस्ट में जमा होने वाली राशि जो सी.पी.एफ/ई.पी.एफ/एन.पी.एस. मय अर्जित ब्याज/ अर्जित मूल्य से प्राप्त होगी, जो सेवारत कार्मिक के नियोक्ता अंशदान की मासिक कटौती से प्राप्त होगी तथा स्वयं के संसाधनों से पेंशन परिलाभों का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इन स्थितियों में पेंशन परिलाभों संबंधी कार्यवाही करने पर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन परिलाभ राज्य सरकार के पेंशन परिलाभों के अनुसार ही हों। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय दायित्व वहन नहीं किया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 10.09.2023 तक बढाई जाती है। यदि दिनांक 10.09.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.09.2023 तक जमा कराई जा सकती है। तत्पश्चात् दिनांक 20–9–2023 तक वित्त (नियम) विभाग को की गई समस्त कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

25/8/23
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 12 / 2023)

परिशिष्ट – 1

घोषणा पत्र

मैं .... पदनाम .... कार्यालय .... में पदस्थापित हूं। इस घोषणा पत्र के माध्यम से निम्नानुसार सहमति देते हुए वर्तमान में .... (CPF/EPF/NPS) से पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने का विकल्प देता हूं :

1. मैं विकल्प स्वीकार करने की तिथि तक नियोक्ता अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज / अर्जित मूल्य की 15 प्रतिशत राशि एकमुश्त निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराने की सहमति देता हूं।

2. मैं उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य देय राशि जो राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित है, यथा स्थायी प्रत्याहरण, EPS या अन्य राशि जो नियोक्ता अंशदान का भाग है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित एकमुश्त जमा कराने की सहमति देता हूं।

या

मैं उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अन्य देय राशि जो राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित है, यथा स्थायी प्रत्याहरण, EPS या अन्य राशि जो नियोक्ता अंशदान का भाग है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित दिशानिर्देश अनुसार निर्धारित समय में चार किश्तों में जमा कराने की सहमति देता हूं।

3. मैं संस्था की पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सेवानिवृत्ति पर समस्त नियोक्ता अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज / अर्जित मूल्य की शेष 85 प्रतिशत राशि को जमा कराने के उपरान्त ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की सहमति देता हूं।

4. मेरे द्वारा दिया गया यह घोषणा पत्र अंतिम है।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर गवाह 1 ....

नाम ....

पता ....

हस्ताक्षर गवाह 2 ....

नाम ....

पता ....

प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद

(मय कार्यालय मोहर)

(एस. जे. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव